

18.06.2024 पत्रावली पेश हुई।

अधिकता प्रार्थी उपस्थित/अधिकता प्रार्थी
ने अपने प्रार्थना-पत्र की जरिये नोटिस
में खारिज करने का निवेदन किया।

अतः अधिकता प्रार्थी के निवेदन
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
कायदा अधिनियम की इसी स्तर पर
जरिये नोटिस खारिज किया जाता है।

पत्रावली फिलहाल शुभारंभ
होकर नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर है।

(पुनी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर